

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 140]
No. 140]

दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 16, 2012/श्रावण 25, 1934
DELHI, THURSDAY, AUGUST 16, 2012/SHRAVANA 25, 1934

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 123
|N.C.T.D.No.123

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिल्ली, 16 अगस्त, 2012

फा. सं. 23(11)/2012/विसस-4/विधायी/6812.—
दिनांक 16 अगस्त, 2012 को उपराज्यपाल द्वारा जारी निम्नलिखित
आदेश जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता
है :—

आदेश

“दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 (1992
का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 1) की धारा 6 (1) के द्वारा प्रदत्त
शक्ति का प्रयोग करते हुए, मैं चौथी विधान सभा का ग्यारहवाँ सत्र
(मानसून सत्र) मंगलवार, दिनांक 4 सितम्बर, 2012 को अपराह्न
2.00 बजे से असम्बली हाल, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054 में
आहूत करता हूँ।

ह./-

(तेजेंद्र खन्ना)
उपराज्यपाल, दिल्ली।”

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

NOTIFICATION

Delhi, the 16th August, 2012

F. No. 23(11)/2012/LAS-IV/Leg./6812.—The
following order of the Lieutenant Governor, Delhi, dated
the 16th August, 2012 is hereby published for general
information :—

ORDER

“In exercise of the power conferred upon me by
Section 6(1) of the Government of National Capital Territory
of Delhi Act, 1991 (Central Act No. 1 of 1992), I hereby
summon the Eleventh Session (Monsoon Session) of the
Fourth Legislative Assembly of the National Capital
Territory of Delhi to meet at Assembly Hall, Old Secretariat,
Delhi-110054 on Tuesday, the 4th September, 2012 at 2.00 P.M.

Sd./-

(TEJENDRA KHANNA)
Lieutenant Governor, Delhi”.